उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2
संख्या-१०५२/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(२०३)-2021
लखनऊः दिनांकः 01 अक्टूबर, 2021

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017), की धारा 11 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या क0नि0-2-837/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(07)-2017, दिनांक 30 जून, 2017, अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या 86 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात्:-

"86.	1209	बीज,फल और बीजाणु जो बोने के लिये उपयोग मे लाये जाते है **स्पष्टीकरण:** इस प्रविष्टि में बुवाई से भिन्न किसी अन्य उपयोग के लिए बीज सम्मिलित नहीं है।";

2. यह अधिसूचना तारीख 1 अक्टूबर, 2021 से प्रवृत्त होगी ।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव